HINDUSTAN URVARAK & RASHAYAN LIMITED

(A Joint Venture of CIL,NTPC,IOCL,FCIL & HFCL)

धोखाधड़ी रोकथाम नीति

नीति के उद्देश्य

- "धोखाधड़ी की रोकथाम नीति" को धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम , किसी भी ज्ञात या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को सूचित करने एवं निष्पक्ष कार्यवाही करने हेतु बनाया गया है। नीति सुनिश्चित करेगी कि -
- प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।

- एच यू आर एल के साथ काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को किसी भी कपटपूर्ण गतिविधि में शामिल होने से वंचित करने और धोखाधड़ी / संदेहास्पद धोखाधड़ी के मामलों में उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया है ।

- धोखाधड़ी के मामलों की जांच करना है ।

धोखाधड़ी की परिभाषा

- 'फ्रॉड' या धोखाधड़ी एक जानबूझकर, तथ्यों को छिपाकर, धोखाधड़ी से, या भ्रमित करके या दूसरे अवैध तरीके से इरादतन किया गया कार्य है ,जिससे स्वयं को या किसी दूसरे को गलत ढंग से लाभ की प्राप्ति होती है ,या किसी दूसरे को गलत ढंग से हानि होती है ।कई बार ऐसे कार्य दूसरे को भ्रमित या गुमराह करने के लिए किए जाते हैं ताकि संबंधित व्यक्ति उचित कार्य ना करें या ऐसे कार्य करें जो विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं ।
-

धोखाधड़ी के अंतर्गत आने वाले कार्य

- धोखाधड़ी का क्षेत्र विस्तृत है, निम्नलिखित कुछ ऐसे कार्य हैं जो धोखाधड़ी की परिधि में आते हैं। (नीचे दी गई सूची केवल उदाहरण है और संपूर्ण नहीं है।)
- कंपनी से संबंधित किसी दस्तावेज़ या खाते में जालसाजी या परिवर्तन।
- जालसाजी या चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य वित्तीय साधन आदि में परिवर्तन।
- कपटपूर्ण साधनों आदि द्वारा निधियों, प्रतिभूतियों की आपूर्ति या अन्य संपत्तियों का दुरूपयोग।
- नियुक्तियों, रिपोर्ट प्रस्तुत करने, निविदा समिति की सिफारिशों आदि के मामलों में जानबूझकर तथ्यों को छिपाना/धोखा देना जिसके परिणामस्वरूप किसी को गलत लाभ होता है और किसी को गलत नुकसान होता है।
- व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी के फंड का उपयोग करना।
- आपूर्ति नहीं की गई या प्रदान नहीं की गई सेवाओं के लिए भुगतान प्राधिकृत करना या प्राप्त करना।
- रिकॉर्ड या कंपनी की दूसरी संपत्तियों को नष्ट करना या हटाना ताकि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सके और एक संदेह और धोखे की स्थिति पैदा की जाए ताकि सही मूल्यांकन या सही निर्णय नहीं लिया जा सके ।
- कोई अन्य कार्य जो कपटपूर्ण गतिविधि के दायरे में आता है।

जांच प्रक्रिया

- नोडल अधिकारी धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के विवरण को आगे की उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए कंपनी मुख्यालय समिति के अधिकारी को संदर्भित करेगा।
- यह इनपुट कंपनी मुख्यालय समिति के कार्यालय द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज के हिस्से के रूप में किए जा रहे धोखाधड़ी के मामलों की खुफिया जानकारी और जांच के अतिरिक्त होगा।
- जांच के पूरा होने के बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नागरिक या आपराधिक कार्रवाई या मामले को बंद करना शामिल हो सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि धोखाधड़ी नहीं की गई है आदि। ऐसे निर्णय जांच के परिणाम के आधार पर लिए जाएंगे ।
- **कारपोरेट स्तर पर गठित समिति** का कार्यालय नोडल अधिकारियों को उनके द्वारा की गई जांच के परिणामों से अवगत कराएगा। दोनों के बीच निरंतर समन्वय बना रहेगा ।

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी

- कोई भी कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी), अन्य कंपनियों से सेकेंडमेंट/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारी, विक्रेताओं के प्रतिनिधि, उधारदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या किसी अन्य एजेंसी जो एचयूआरएल के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करती है, नोडल अधिकारी को इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है और यह उनसे अपेक्षित भी है।
- सभी विभागीय प्रमुख धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने और एचयूआरएल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति को लागू करने की जिम्मेदारी साझा करेंगे। यह सुनिश्चित करना सभी विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि उनके नियंत्रण क्षेत्र के भीतर तंत्र मौजूद है, जो-
- प्रत्येक कर्मचारी को उनके क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं के प्रकारों से परिचित कराएगा।
- धोखाधड़ी की रोकथाम और सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करेगा।
- एक ऐसी संस्कृति बनाएगा जो कर्मचारियों को किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट,किसी उत्पीड़न के डर के बिना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी

विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि उनके नियंत्रण क्षेत्र के भीतर मौजूद तंत्र

- यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा जारी की गई निविदाओं की 'अनुबंध की सामान्य शर्तों' (जी सी सी) में आवश्यक खंड शामिल किए गए हैं, जिसमें सभी बोलीदाताओं/सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं/सलाहकारों आदि को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी कि वे इस 'एचयूआरएल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति' का पालन करेंगे और उनके संगठन में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त नहीं होने देंगे और धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में उनके संज्ञान में आते ही तुरंत संगठन को अवगत कराएंगे। निविदा (BID)को जमा करने के समय एवं अनुबंध के निष्पादन के समय ये शर्तें दोनों दस्तावेजों का हिस्सा होंगी।

धोखाधड़ी की सूचना

- • यदि कोई कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक या कर्मचारियों , अस्थायी / अनुबंध के आधार पर नियुक्त), अन्य कंपनियों से अन्यत्र अस्थायी / प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों, विक्रेताओं के प्रतिनिधि, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकार, सेवा प्रदाताओं या किसी अन्य एजेंसी एचयूआरएल के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हों, तो उन्हें ऐसी घटना (घटनाओं) की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को देनी होगी।
- • यदि मामले की सूचना विभागीय प्रमुख को दी जाती है, तो एच ओ डी नोडल अधिकारी को मामले की सूचना देगा।
- • मामले और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ इस पर चर्चा नहीं की जाएगी।
- • प्राप्त गुमनाम और छद्म नाम वाली शिकायतों पर सामान्य नियम के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि शिकायत किसी भी सत्यापन योग्य तथ्य/सबूत द्वारा समर्थित है, तो उस पर प्रबंध निदेशक की मंजूरी लेने के बाद कार्रवाई की जा सकती है।
- • घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को 'व्हिसल ब्लोअर' माना जाएगा और कंपनी की विजिल मैकेनिज्म/व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत प्रदान की गई सभी सुरक्षा उन्हें उपलब्ध होगी।
- नोडल अधिकारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रासंगिक अभिलेख दस्तावेजों और अन्य सबूतों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए और धोखाधड़ी के संदिग्ध अपराधियों या उनके प्रभाव में किसी अन्य अधिकारी द्वारा छेड़छाड़, नष्ट या हटाए जाने से संरक्षित किया जा सके।

नीति का प्रशासन और समीक्षा

a. गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में एच यू आर एल साइट पर नोडल अधिकारी परियोजना प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा। नामांकन के विवरण तुरंत समिति-कॉर्पोरेट कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

- कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए नोडल अधिकारी प्रबंध निदेशक ,(एचयूआरएल) द्वारा नामित किए जाएंगे।
- नामित नोडल अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक के पद से नीचे के नहीं होंगे ।
- स्थानांतरण पदोन्नति के कारण नोडल अधिकारियों के पद में परिवर्तन और पोस्टिंग में परिवर्तन या एच यू आर एल से अलग होने की सूचना तुरंत कारपोरेट स्तर पर गठित समिति को दी जाएगी।
- नोडल ऑफिसर अपने नियमित कार्यभार के अतिरिक्त यह कार्य करेगा ।
-

नीति का प्रशासन और समीक्षा

- प्रबंध निदेशक, (एच यू आर एल) इस नीति के प्रशासन , कार्य रूप देने, व्याख्या, और संशोधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित करते हुए इस नीति को कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा किसी भी समय पूर्ण या आंशिक परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है।
- **धोखाधड़ी निवारण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश** (केवल आंतरिक उद्देश्यों के लिए)

1. **कारपोरेट स्तर पर गठित समिति** का कार्यालय

- एचयूआरएल कॉर्पोरेट कार्यालय में एच आर (H R)के प्रमुख संयोजक के रूप में कार्य करेंगे और एचयूआरएल-कॉर्पोरेट कार्यालय में सी एंड एम (C&M),एफ एंड ए (F&A), एवं पी पी एंड एम(PP&M) के प्रमुख समिति के सदस्य होंगे। प्रबंध निदेशक,एचयूआरएल समिति का गठन करेंगे। इस प्रणाली के लिए कार्य संरचना का गठन अनुबंध-I पर रखा गया है।
-

रिपोर्ट एवं बैठक

1. तिमाही की शुरुआत में मामलों (लंबित, निपटाए गए, कॉर्पोरेट में समिति को रिपोर्ट किए गए आदि) का विवरण देने वाली तिमाही रिपोर्ट, प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय समिति को इकाई प्रमुख की प्रतिलिपि के साथ अगली तिमाही के पहले महीने की 10 तारीख तक अग्रेषित की जाएगी।

2. निगमित कार्यालय समिति सभी नोडल अधिकारियों से प्राप्त स्थिति का एक समेकित विवरण तैयार करेगी और उसे तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित करेगी।

3. तिमाही रिपोर्ट के आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय समिति द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट एच यू आर एल की लेखा परीक्षा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

HINDUSTAN URVARAK & RASHAYAN LIMITED

(A Joint Venture of CIL,NTPC,IOCL,FCIL & HFCL)